

आदेश

वाफपत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्राथमिक डिप्टी
इस आदेश की ही जाती है कि आग हाथपाणी के
सूत्रि ख. नं. 2246, 2247, 2248, 2249, 2552, 2553
2524, 2525 किला 8 कुल रकबा 3-85 है- का वादीगण
स्वें प्रतिवादी गण का सपस्व रिपोर्ट में दर्प हिस्सा
स्वें कब्जा अनुकार सस्ते का प्रावधान रखते हुए
विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता
है। तद्नुसार तहसील दार उद्यपुरवारी उभयपक्षकाराण
की उपस्थिति में विभाजन पुस्तक तैयार करे' तथा
सम अवकाश के दो प्रतिमा में न्यायालय दफ्तर में
प्रस्तुत करें। डिप्टी पचां जारी हो।

पनावली फंसल सुमार होकर जम्बर के काम हो
तथा वाफ तकमील दारिजल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.5.18 को कोर्ट कोर्ट
हाथपाणी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सदरमुकामी (दर)